



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-382/2026/2356/22-2-2025-17(209)/2024
लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 2025 (16 नवम्बर, 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी बैजू (कैदी संख्या-219/2025) पुत्र श्री गंगा कोहार, निवासी ग्राम-झामट, थाना-पुरन्दरपुर, जिला-महाराजगंज जिसे सत्र परीक्षण संख्या-96/2010 में धारा-304बी, 498ए आई०पी०सी० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1, महाराजगंज के आदेश दिनांक 21.11.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2022 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.11.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 06 माह, 02 दिन एवं 20 वर्ष, 01 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-382/2026/2356(1)/22-2-2025 एवं तदुद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री/मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ
- 6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि०) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि०) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रांट ऑफ बेल में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।